Neutral Citation
2018 : CGHC : 19896

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 175/2018

मोहम्मद इसराइल, उम्र करीब 28 वर्ष (वर्तमान में उम्र करीब 34 वर्ष)
पिता श्री इस्माइल खान, निवासी मस्जिद के पीछे, संजय नगर
थाना टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- आवेदक

बनाम

श्रीमती सलमा बेगम, उम्र लगभग 25 वर्ष, पति इसराइल, पुत्री स्वर्गीय हाफिज खान,
निवासी गौसिया चौक, संजय नगर, थाना टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक के लिए: श्री कपिल मैनी, अधिवक्ता
उत्तरवादी के लिए: श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल
बोर्ड पर आदेश
20.8.2018

1. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, मामले की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. परिवार न्यायालय, रायपुर द्वारा एम.जे.सी. में पारित दिनांक 27.1.2018 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। 2011 के आदेश संख्या 254 में उत्तरवादी/पत्नी द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 125 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे 4,000/– रुपये मासिक भरण–पोषण प्रदान किया गया तथा आवेदक/पति को आदेश दिया गया कि वह आक्षेपित आदेश की तिथि से एक माह के भीतर 1,50,000/– रुपये की स्त्रीधन राशि का भुगतान/वापसी करे।

3. आवेदक/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी/ पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक/पति से अलग रह रही है। इससे पहले आवेदक को भा. दं. सं. की धारा 498ए के अधीन दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपील में उसे आरोप से बरी कर दिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी/पत्नी के पास आवेदक/पति से अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 125 के अधीन कार्यवाही में स्त्रीधन की राशि वापस करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, पारिवारिक न्यायालय का आदेश कानून के विरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में 4,000/– रुपये का मासिक भरण–पोषण अनुदान अधिक है।

4. उत्तरवादी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि धारा 125 के अधीन कार्यवाही में स्त्रीधन की राशि वापस करने का आदेश कानून में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि उत्तरवादी/पत्नी को अपने स्त्रीधन की वापसी के लिए अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक/पति ने पहले ही यह तथ्य स्वीकार कर लिया है कि उसने उत्तरवादी/पत्नी को तलाक दे दिया है और वर्तमान में पत्नी ने दोबारा विवाह नहीं किया है, इसलिए उसके पास आवेदक से अलग रहने का उचित आधार है। इस प्रकार, पारिवारिक न्यायालय ने उत्तरवादी/पत्नी के पक्ष में भरण–पोषण का अधिकार दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का उचित ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

6. यद्यपि अपील में आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के अधीन आरोप से बरी कर दिया गया है, उसने स्वयं अपने कथन के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि उसने उत्तरवादी/ पत्नी को पहले ही तलाक दे दिया है। इस प्रकार, उसके स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में उत्तरवादी उसकी तलाकशुदा पत्नी है और जब तक वह दोबारा विवाह नहीं करती, वह आवेदक से भरण–पोषण पाने की हकदार है और चूंकि उनके बीच तलाक हो चुका है, इसलिए वह उचित कारण से उससे अलग रह रही है। पत्नी को भरण–पोषण देने से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(ए) में निहित है, जो इस प्रकार है:

"125. पत्नी, बच्चों और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए आदेश :–

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह– (ए) अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, जो स्वयं भरण–पोषण करने में असमर्थ है, या

xxx xxx xxx xxx

स्पष्टीकरण– इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –

xxx xxx xxx xxx

(बी) "पत्नी" में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है, या उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और उसने दोबारा शादी नहीं की है।"

7. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक की वास्तविक मासिक आय सिद्ध नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में, पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और आवेदक की आय क्षमता को देखते हुए, उत्तरवादी के पक्ष में 4,000/– रुपये का मासिक भरण–पोषण अनुदान अधिक प्रतीत होता है और इसे उचित रूप से कम किया जाना चाहिए। इसलिए, भरण–पोषण को घटाकर 3,500/– रुपये प्रति माह किया जाता है, जो पारिवारिक न्यायालय के आदेश की तिथि अर्थात 27.1.2018 से देय होगा।

8. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार, स्त्रीधन की वापसी के संबंध में, उत्तरवादी के पक्ष में कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

10. इस आदेश की एक प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ वापस भेजा जाए।

सही/–
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur